अनुदान संख्या 101 - लोक निर्माण कार्य
GRANT No. 101 – PUBLIC WORKS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय + Excess + बचत- Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित -	*Charged-*		*1,00,00*	*12,64*	*-87,36*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत -	Voted -				
मूल	Original	1070,89,00	1071,26,00	1079,05,96	+7,79,96
पूरक	Supplementary	37,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				2,27,58
पूंजीगतः	**Capital:**				
प्रभारित -	*Charged-*		*1,00,00*	*15,00*	*-85,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत -	Voted -				
मूल	Original	399,69,00	502,37,00	471,84,10	-30,52,90
पूरक	Supplementary	102,68,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				14,49,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में बचतें निम्नानुसार हुईं:-

(I) *₹30.00 लाख* का *विनियोग* एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत *₹57.36 लाख* की बचत हुई और यह स्वीकृत *विनियोग* का 82 प्रतिशत थी।

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, savings occurred as under:-

(I) *Appropriation* of *₹30.00 lakhs* remained wholly unutilized under one head.

(II) Under one head saving of *₹57.36 lakhs* occurred constituting 82 percent of the sanctioned *appropriation*.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, यद्यपि अगस्त, 2010 में ₹37.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त किया गया था और ₹227.58 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई थी, व्यय स्वीकृत प्रावधान से ₹779.96 लाख (वास्तविक अधिक व्यय ₹779,95,991 था) अधिक हो गया। **अधिक व्यय को अनुदानों की अधिक मांगों को संसद द्वारा स्वीकृत करवाकर नियमित किए जाने की आवश्यकता होती है।**

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, although supplementary grant of ₹37.00 lakhs was obtained in August, 2010 and an amount of ₹227.58 lakhs was surrendered, the expenditure exceeded the sanctioned provision by ₹779.96 lakhs (actual excess was ₹779,95,991). **The excess requires regularisation by voting of Excess Demands for Grants by the Parliament.**

अधिक व्यय/बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुआ/ हुईं:-

Excess/savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय + Excess +
मुख्य शीर्ष "2059"	Major Head "2059"				
लोक निर्माण कार्य	Public Works				
मू.	O.	107089.00			
पू.	S.	37.00	106898.42	107905.96	+1007.54
पु.	R.	-227.58			

(I) अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ:-

(I) Excess occurred under the following heads:-

(का) "कार्यालय भवन" -

(A) "Office Building" –

(क) "रख-रखाव और मरम्मत - कार्य प्रभारित स्थापना"- ₹179.02 लाख का अधिक व्यय (₹8225.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बढ़े हुए वेतन, मंहगाई भत्ता और संशोधित आश्वासित करियर प्रोन्नति स्कीम के क्रियान्वयन की अदायगी के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(a) "Maintenance and Repairs - Work Charged Establishment"– excess of ₹179.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8225.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for payment of enhanced salaries, dearness allowance and implementation of modified assured career progression (MACP) scheme.

(ख) "पट्टा प्रभार - किराया, दरों और स्थानीय निकायों आदि को कर" - ₹556.16 लाख का अधिक व्यय (₹11200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थानीय निकायों को विशिष्ट कार्यालय भवनों से

(b) "Lease charges - Payment of Rent, Rates and Taxes to Local Bodies etc."- excess of ₹556.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11200.00 lakhs) was due to

संबंधित बिजली और सम्पति कर की अदायगी के समाशोधन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) ''अन्य भवन'' -

(क) ''निर्माण - भवन'' - ₹115.70 लाख का अधिक व्यय (₹250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रतिबद्ध और आस्थगित न की जानी वाली मदों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) रख - रखाव एवं मरम्मत'' -

(i) ''कार्य प्रभारित स्थापना'' - ₹573.19 लाख का अधिक व्यय (₹2625.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य प्रभारित कर्मचारियों के लिए संशोधित आश्वासित करियर प्रोन्नति स्कीम के बकायों का निपटान करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ii) ''अन्य रख-रखाव व्यय'' - ₹356.55 लाख का अधिक व्यय (₹4875.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(गा) ''सामान्य - निदेशन और प्रशासन'' -

(क) ''सामान्य स्थापना'' - ₹167.07 लाख का अधिक व्यय (₹821.60 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) ''संरचनात्मक योजना'' - ₹262.99 लाख का अधिक व्यय (₹6427.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय बढ़े हुए वेतन, मंहगाई भत्ता और संशोधित आश्वासित करियर प्रोन्नति स्कीम को लागू करने के लिए अदायगी किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

requirement of additional funds to clear payment of local bodies towards electricity and property tax pertaining to distinguished office buildings.

(B) “Other Buildings”-

(a) “Construction - Buildings”- excess of ₹115.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹250.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for committed and non deferrable items.

(b) “Maintenance and Repairs”-

(i) “Work Charged Establishment” - excess of ₹ 573.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2625.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to clear arrears of modified assured career progression (MACP) scheme for works charged employees of Central Public Works Department.

(ii) “Other Maintenance Expenditure” - excess of ₹356.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4875.00 lakhs);

(C) “General – Direction and Administration”–

(a) “Ordinary Establishment” - excess of ₹167.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹821.60 lakhs); and

(b) “Structural Planning” - excess of ₹262.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6427.50 lakhs).

Excess under the above three heads was due to requirement of additional funds for payment of enhanced salaries, dearness allowance and implementation of modified assured career progression (MACP) scheme.

3. उपर्युक्त अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचतों द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गया:-

(I) ''सामान्य - अन्य व्यय - राजघाट समाधि समिति को सहायता अनुदान'' - ₹350.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹37.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹387.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो कम मांग प्राप्त होने के कारण ₹8.22 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) ''कार्यालय भवन - उचंत'' -

(का) ''स्टाक'' - ₹607.67 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) टेंडर परियोजनाओं में सामग्रियों का अनुबंध न किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''विविध निर्माण कार्य अग्रिम'' - ₹156.12 लाख की बचत (₹300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(III) ''सामान्य'' -

(का) ''निदेशन और प्रशासन'' -

(क) ''कार्यान्वयन'' - ₹125.80 लाख की बचत (₹37300.57 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)रिक्त पदों के न भरे जाने और चिकित्सा, समयोपरि भत्ता और मजदूर काम पर लगाए जाने संबंधी कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) ''वास्तुशिल्पीय योजना'' - ₹163.68 लाख की बचत (₹2379.20 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और सामयिक कार्य के लिए कम मजदूर कार्य पर रखे जाने के कारण हुई।

(खा) ''अन्य व्यय - भूमि और विकास कार्यालय'' - ₹189.97 लाख की बचत (₹830.35 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और चिकित्सा और पेशेवर सेवाओं के लिए कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

3. The above excess was partly offset by savings under the following heads:-

(I) "General – Other Expenditure – Grants-in-aid to Rajghat Samadhi Committee" – the original provision of ₹350.00 lakhs was augmented to ₹387.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹37.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹8.22 lakhs – due to receipt of less demand.

(II) "Office Building - Suspense"-

(A) "Stock" – saving of ₹607.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to non stipulation of materials in the tender projects.

(B) "Misc Works Advances" – saving of ₹156.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 300.00 lakhs) was due to receipt of less demand from the implementing agencies.

(III) "General" –

(A) "Direction and Administration" –

(a) "Execution" – saving of ₹125.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹37300.57 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and receipt of less claims for medical, overtime allowance and labour engaged.

(b) "Architectural Planning" – saving of ₹163.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2379.20 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and less labour engaged for seasonal work.

(B) "Other Expenditure – Land and Development Office" - saving of ₹189.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 830.35 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and receipt of less claims for medical and professional services.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, एक शीर्ष के अंतर्गत *₹85.00 लाख* की बचत हुई जो स्वीकृत *विनियोग* का 85 प्रतिशत थी।

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, saving of *₹85.00 lakhs* occurred under one head constituting 85 percent of the sanctioned *appropriation.*

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹3052.90 लाख) अगस्त, 2010 और नवंबर, 2010 में प्राप्त किए गए ₹10268.00 लाख के पूरक अनुदान का 30 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 6 प्रतिशत थीं।

5. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (₹3052.90 lakhs) constituted 30 percent of the supplementary grants of ₹10268.00 lakhs obtained in August, 2010 and November, 2010 and 6 percent of the total sanctioned provision.

बचतें /अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं /हुआ :-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	35435.00	44753.00	43556.40	-1196.60
पू.	S.	10268.00			
पु.	R.	-950.00			
मुख्य शीर्ष "4250" अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4250" Capital Outlay on Other Social Services				
मू.	O.	3434.00	2997.00	2568.91	-428.09
पु.	R.	-437.00			

(I) ₹50.00 लाख रु. का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹50.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.

(II) मुख्य शीर्ष "4059" के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "4059" – remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(का) "कार्यालय भवन - निर्माण - भवन" - ₹10800.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹6950.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹17750.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो शास्त्री भवन और कृषि भवन के लिए सोलर वाटर हीटिंग प्रणाली की सामग्री प्राप्त न होने और शास्त्री भवन, निर्वाचन सदन में कार्य पूरा न होने के कारण ₹623.25 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) "Office Buildings – Construction - Buildings" – the original provision of ₹10800.00 lakhs was augmented to ₹17750.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹6950.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹ 623.25 lakhs - due to non-receipt of material of solar water heating systems for Shastri Bhavan and Krishi Bhavan and non-completion of work at Shastri Bhavan and Nirvachan Sadan.

(खा) "सामान्य - निर्माण - वित्त (राजस्व)" - ₹12900.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹3318.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹16218.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो चालू निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति होने के कारण ₹120.53 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) "General – Construction - Finance (Revenue)" – the original provision of ₹12900.00 lakhs was augmented to ₹16218.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹3318.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹120.53 lakhs - due to slow progress of ongoing works.

(III) मुख्य शीर्ष "4059" - "सामान्य - निर्माण" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "4059" – "General – Construction"- savings occurred under the following heads:-

(का) "लेखा परीक्षा" - ₹246.52लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संबंधित विभाग से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(A) "Audit" - saving of ₹246.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to receipt of less demand from the client department.

(खा) "लोक सभा" - ₹965.74 लाख की बचत (₹3500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संसद भवन परिसर में प्रतिस्थापन की केबल की पूर्ति न किए जाने की वजह से परियोजना कार्य को शुरू किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(B) "Lok Sabha" - saving of ₹965.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3500.00 lakhs) was due to delay in start of project work owing to non-supply of cables for replacement in Parliament House complex.

(गा) "नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा" - ₹166.07 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(C) "New and Renewable Energy" - saving of ₹166.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 200.00 lakhs);

(घा) "लेखन सामग्री और मुद्रण" - ₹150.15 लाख की बचत (₹300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(D) "Stationery and Printing" - saving of ₹150.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 300.00 lakhs); and

(IV) मुख्य शीर्ष "4250" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "4250" – savings occurred under the following heads:-

(का) "श्रम - भवन" - ₹724.75 लाख की बचत (₹1909.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(A) "Labour – Building" - saving of ₹724.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1909.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें संबंधित विभागों से प्रशासनिक अनुमोदन/व्यय की मंजूरी प्राप्त न होने के कारण हुईं।

Savings under the above three heads were due to non-receipt of administrative approval/ expenditure sanction from the client departments.

(खा) "रोजगार - भवन" - ₹140.34 लाख की बचत (₹1525.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चालू निर्माण कार्यों की धीमी गति होने के कारण हुई।

(B) "Employment– Buildings" – saving of ₹140.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 1525.00 lakhs) was due to slow progress of ongoing work.

6. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "4059" - "सामान्य - निर्माण - खान" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - ₹137.11 लाख का अधिक व्यय (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूरे किए गए निर्माण कार्यों की लंबित संविदागत देयताओं का समाशोधन करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

6. The above savings were partly offset by excess under Major Head "4059" – "General – Construction – Mines" – excess of ₹137.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to clear pending contractual liabilities of completed works.